संख्या-3/2017/43 /30-3-17-4बी/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 24 मार्च, 2017

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण हेतु दूसरी किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-17ए/2017-56ए/2011, दिनॉक 03-01-2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन के परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 438.90 लाख (रू0 चार करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-45/2015/1064/30-3-15-04बी/2015, दिनॉक 08-06-2015 द्वारा प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 204.17 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण-पत्र के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-11-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय प्रतापगढ़ में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित रू0 234.73 लाख (रू0 दो करोड़ चौंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की दूसरी किश्त की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु पूर्व से नामित संस्था- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करते हुए प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) उक्त भवन का निर्माण कार्य समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए तथा इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

(4) कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत की जा रही इस धनराशि के मासिक व्यय का विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रति माह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-2/

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30-03-2015 दिए गए निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिए गए अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) भवन में विकलांगजन की सुविधा हेतु बैरियर फ्री आवागमन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जायेगी। विशेष रूप से भवन में प्रवेश आदि हेतु रैम्प व रेलिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(6) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-11-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2017/43(1)/30-3-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), प्रतापगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in